मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–058/2023

1. मोहनसिह पुत्र नत्थूसिह जाति बावरी निवासीयान खाराखेड़ा हाल देसूजोधा तहसील डबवाली जिला सिरसा।
2. श्रवणसिह पुत्र नत्थूसिह जाति बावरी निवासीयान खाराखेड़ा हाल देसूजोधा तहसील डबवाली जिला सिरसा।

— —

वादीगण

बनाम

1. अमरजीतकौर पुत्री नत्थूसिह पत्नी त्रिलोक जाति बावरी निवासी गदरखेड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरप्रीतकौर पुत्री नत्थूसिह पत्नी मखनसिह जाति बावरी निवासी गुरुसर सैनेवाला तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
3. गुरप्रीतसिह माता सुरजीतकौर उर्फ गुरनामकौर पुत्री नत्थूसिह पत्नी जीवनसिह जाति बावरी निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. गुरदाससिह माता सुरजीतकौर उर्फ गुरनामकौर पुत्री नत्थूसिह पत्नी जीवनसिह जाति बावरी निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

— —प्रतिवादीगण

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व))

अन्तर्गत धारा :– 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :–07.2.2024

वादीगण की ओर से श्री सुभाष चन्द्र गर्ग अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैल सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ....को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित नत्थूसिह के नाम चक नम्बर 1 सीडीआर के खाता संख्या 52/46 में कुल 1.138 हैक्टर, चक नम्बर 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 64/63 में कुल 0.253 हैक्टर, चक नम्बर 9 के.एच.आर. के खाता संख्या 65/64 में कुल 0.506 हैक्टर आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 1 सीडीआर के खाता संख्या

(हस्ताक्षर/मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:09:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

52/46, चक नम्बर 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 64/63, चक नम्बर 9 के.एच.आर. के खाता संख्या 65/64 मे से नत्थुसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 07.2.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
____ रूपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
कमिश्नर की फ़ीस	—	कमिश्नर की फीस	—
आदेशिका की तामिल	—		
योग	—	योग	—

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:09:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner